

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2031 /स्था/राज/2015

भोपाल, दिनांक 20/11/2015

प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर के चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों की जानकारी

चि. महा. का नाम	कुल पद	पदनाम	रिक्तियों की वर्गवार संख्या			
			अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.
चि. महा. सागर	20	चिकित्सा अधिकारी	10 03(म)	03 01(म)	04 01(म)	03 01(म)
योग	02	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	—	01	—

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत उपरोक्त पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का विवरण :-

- (अ) पद का नाम : चिकित्सा अधिकारी/महिला चिकित्सा अधिकारी
- (ब) रिक्त पद का स्थान : बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,सागर
- (ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग
- (स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (द) पद स्थिति : अस्थायी
- (इ) वेतनमान : रूपये 15600-39100+ 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तें देय होंगे।
- (फ) अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक चिकित्सा अधिकारी/ महिला चिकित्सा अधिकारी एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या समतुल्य अर्हता मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकरण अनिवार्य है।

समतुल्य अर्हता :- भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा  
अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिकारी

विशेष : उक्त अर्हतायें विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि 07/12/2015 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जायेंगे।

(ज) कर्तव्य : मरीजों की चिकित्सा एवं विधार्थियों का हास्पिटल अध्यापन समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

नियुक्ति का तरीका :- नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी। यह नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिनस्थ स्वशासी संस्था के अंतर्गत नियमित नियुक्ति होगी। इन नियुक्तियों पर स्वशासी नियम लागू होंगे।

आवेदन शुल्क :-

चिकित्सा अधिकारी/दंत चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु अभ्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ रूपये 500/- एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को 300/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया होकर संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी का पूरा नाम, आवेदित पद का नाम, पता एवं फोन नम्बर लिखना आवश्यक है। बैंक ड्राफ्ट के बिना प्रस्तुत आवेदनों पर किसी प्रकार से भी विचार नहीं किया जावेगा।

आयु संगणना की तिथि 30.01.2015 होगी।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.12.2015 तक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा भोपाल में सायंकाल 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संचालनालय की आवक शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये संचालनालय चिकित्सा शिक्षा कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

साक्षात्कार स्थान :- संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, 6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

यह नियुक्ति स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिनस्थ स्वशासी संस्था के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति होगी। परन्तु आवश्यकता अनुसार प्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानांतरण किया जा सकता है।

उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष की देय छूट :-

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक दिनांक 20.

11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा तथा नगर सैनिक	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
विशेष :- सभी प्रकार की छूटों को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

- (2) मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियारत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगा।
- (3) निःशक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित निःशक्त आवेदक आरक्षण एवं छूटों के पात्र है।
- (4) ऐसी अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवा का योग हो) कम कराने के लिए

अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहियें।

**स्पष्टीकरण :-**

छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (5) ऐसी अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होंनी चाहियें।

**स्पष्टीकरण :-**

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार :

“ 2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किए जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्ति या अंतरित किए जाने का हकदार होने के लिए अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनाधिक अवधि के लिए सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। ”

**प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटें :-**

- (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- (3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

**टीप :-** (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों /योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

- (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र. /एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

**नोट :-**

- (01) उपरोक्त में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- (02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।

- (I) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (II) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।
- (III) चिकित्सा अधिकारी के पदों के कार्यस्वरूप को देखते हुये ये पद केवल 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित निःशक्त आवेदकों हेतु चिन्हांकित है अतः अन्य श्रेणी (दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित) के निःशक्त आवेदक उक्त पदों हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- (IV) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जावेगा।
- (V) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपन वर्ग अनारक्षित लिखें।

**मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होता।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा। इस हेतु आवेदकों स्वयं शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

**महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने

पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक के अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

चयन प्रक्रिया :-

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जायेगी।

आवेदकों की संख्या 500 से अधिक होने से साथ ही विज्ञापित पदों के पांच गुना से अधिक होने पर नियम प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

टीप: लिखित परीक्षा/साक्षात्कार एवं अन्य जानकारी की स्थिति चिकित्सा शिक्षा विभाग की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, कि वे सतत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट के संपर्क में रहे। इस संबंध में अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं जावेगी।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो विभाग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

चयन प्रक्रिया में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों को किसी प्रकार का अतिरिक्त अंक आदि नहीं दिया जावेगा।

आवेदन प्रक्रिया :- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 07.12.2015 तक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा भोपाल में सायंकाल पांच बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संचालनालय की आवक शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनो पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये संचालनालय चिकित्सा शिक्षा कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही विभाग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का पता परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए पते की सूचना विभाग को लिखित में प्रस्तुत करें। आवेदक द्वारा पता परिवर्तन की स्थिति में नए पते की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते पर किया जावेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

## 2- आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु
रुपये 300/-	रुपये 500/-

3- आवेदक अपने दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से साक्षात्कार के समय लेकर उपस्थित होवे उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जावेगा :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

इंटर्नशिप पूर्णता तथा मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- इंटर्नशिप पूर्ण करने तथा मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन का प्रमाण-पत्र

अनुभव के प्रमाण पत्र :- अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।



**निःशक्तता प्रमाण-** निः शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2 दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) निःशक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित निःशक्त आवेदक आरक्षण तथा आयु सीमा में छूटों के पात्र है।

**जाति के प्रमाण-पत्र :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जों कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक को कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जावेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में आय संबंधी कड़िका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

**कार्यरत/छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :-** नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु ग्रीनकार्ड।

उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

4- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर इनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जावेगी।

5- अनुशासनिक निर्देश :- (लिखित परीक्षा संबंधी अनुदेश लिखित परीक्षा की स्थिति में)

ऐसे आवेदक को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो :-

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारों के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिये हों तो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या
- 07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या
- 09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक दिये गये अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
- 11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक/परीक्षक को न जमा करते हुये अपने साथ ले गया हों।

(क) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हों तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि -


(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहें, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हों, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गयी कालावधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार न किया गया हो।

6- अनर्हतायें :- ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

7- यात्रा व्यय का भुगतान :-

साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

  
संचालक चिकित्सी शिक्षा  
मध्यप्रदेश





11. यदि आवेदक म.प्र. का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है।

12. क्या आवेदक म.प्र. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का सदस्य है, यदि हां तो जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का नाम लिखें तथा संलग्न प्रपत्र में निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

13. आवेदक का-

(अ) वर्तमान डाक का पता

.....  
 .....  
 .....

पिन कोड

(ब) स्थायी पता

.....  
 .....  
 .....

पिन कोड

(स) मोबाईल नम्बर

(द) ईमेल पता

14. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित संलग्न करें।

परीक्षा	वर्ष	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	प्रयास (अटेम्प्ट)	कुल प्रतिशत	शैक्षणिक संस्था का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम
स्नातक(एमबी बीएस/बीडी)	प्रथम वर्ष							
	द्वितीय वर्ष							

एस/समकक्ष )	फायनल-प्रथम							
	फायनल-द्वितीय							
स्नातकोत्तर								

15. यदि आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय संस्था में चिकित्सा अधिकारी/दंत चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवारत थे/है तो आवेदन करने की अंतिम तारीख तक सभी पदों का पूर्ण विवरण दें।

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/नाम व पता	नियुक्ति		कार्य का प्रकार
		कब से	कब तक	

17. यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कड़िका का उल्लेख करें।

18. (1) क्या आप भारत के नागरिक हैं ? (1).....

(2) यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो क्या आपने भारत सरकार से पात्रता का घोषणा-पत्र प्राप्त किया है ? (2).....

19. (अ) क्या आप विवाहित हैं ? .....

(ब) यदि हां तो क्या आपको एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं ? पति हैं ? .....

(स) क्या आप ग्रीनकार्ड धारी हैं ? .....

19. क्या आपको कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया, हटाया गया या किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित (दंडित) किया गया है, या आपके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हैं, यदि हां तो विवरण दें

.....

20 जीवित संतानों की संख्या एवं जन्म तिथी(प्रमाण पत्रों सहित).....

..... घोषणा .....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे द्वारा दी गई वह पूर्ण सत्य है जानकारी असत्य होने की दशा मे मेरा आवेदन/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा । एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी मुझ पर मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं संबंधित संस्था के सभी नियम एवं प्रावधान पूर्ण रूपेण बन्धनकारक होंगे ।

आवेदक के हस्ताक्षर व पूरा नाम .....

दिनांक .....

.....

स्थान .....

.....

शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं डॉ. ....आत्मज/आत्मजा श्री/डॉ. ....  
..... आयु ..... स्थाई पता .....  
..... वर्तमान पता .....  
..... आई डी प्रूफ संलग्न शपथ-पूर्वक निम्न कथन करता हूँ/करती  
हूँ कि :-

1. मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का किसी भी न्यायालय एवं पुलिस थाने में कोई भी अपराधिक प्रकरण आज दिनांक तक न दर्ज है ना ही लंबित है।
2. मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दण्ड आज दिनांक तक नहीं दिया गया है।
3. मेरे विरुद्ध पी.एम.टी. यू.जी./पी.जी./एस.टी.एफ. आदि किसी भी स्तर पर कोई भी कार्यवाही लंबित/प्रचलित नहीं है, यदि उपरोक्त में मेरी संलिप्ता पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति स्वतः निरस्त कर दी जाये। इस हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।
4. भविष्य में, उपरोक्त क्रं 1, 2 एवं 3 में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

गवाह :-

1. ....
2. ....

हस्ताक्षर

शपथगृहिता